प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

01. समस्त उपशिक्षा निदेशक/प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
उत्तर प्रदेश।

02. समस्त निजी डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) संस्थान
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः गोप0/डी.एल.एड./ 1427-99 /2021-22, दिनांक 18 अगस्त 2021

विषय– डी0एल0एड0 प्रशिक्षण–2019 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 641/अरसठ–4–2021–9(16)/2020, बेसिक शिक्षा अनुभाग–04, दिनांक 17 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके कम में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किये जाने के उपरान्त कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय सेमेस्टर हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं को कक्षोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। जिसके बिन्दु संख्या 01 व 02 में निम्नवत् निर्देश दिये गये है–

01. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान की जाय।

02. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण वर्ष–2019 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित परीक्षा प्रस्तावित समय–सारणी के अनुसार तत्समय कोविड–19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं सोशल डिस्टैन्सिंग व अन्य प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए सम्पादित करायी जाय। तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त, जो अंक अर्जित किये जायेंगे, उसका औसत अंक ही उनके तृतीय सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जायेंगे।

उक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों के कम में निम्नवत् कार्यवाही की जानी है–

01. शासनादेश दिनांक 17 अगस्त 2021 के बिन्दु 01 के कम में डी0एल0एड0 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किये जाने हेतु वेबसाइट www.updeledexam.in, **दिनांक 19.08.2021 से 24.08.2021** तक खोली जा रही है। समस्त डी0एल0एड0 संस्थानों/सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का यह दायित्व होगा कि डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे प्रशिक्षु जिनके द्वारा तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अर्ह है, के कक्षोन्नति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र उक्त निर्धारित समयावधि तक पूरित करेंगें। तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन पूरित आवेदन को सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अन्तिम तिथि **दिनांक 25.08.2021** होगी।

02. डी0एल0एड0 संस्थानों द्वारा नामावली सूची को फाइनल सेव किये जाने से पूर्व निम्नवत् घोषणा पर सहमति देनी होगा–

"प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा शासनादेश संख्या : 641/अरसठ–4–2021–9(16)/2020, बेसिक शिक्षा अनुभाग–04, दिनांक 17 अगस्त 2021 के बिन्दु–01 में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेत अर्ह प्रशिक्षुओं को कक्षोन्नति दिये जाने हेतु आवेदन वेबसाइट पर पूरित किये गये है। मेरे द्वारा किसी भी अनर्ह प्रशिक्षु के आवेदन

पूरित नही किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर यदि मेरे संस्थान के विरूद्ध विभागीय/विधिक कार्यवाही की जाती है, तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।"

03. इसके साथ ही संस्थान का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा डी0एल0एड0 2019 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं से निम्नवत् घोषणा पर लिखित सहमति प्राप्त की जाय –

"मैं...पुत्र.. संस्थान... में डी0एल0एड प्रशिक्षण वर्ष 2019 का प्रशिक्षु यह घोषणा करता हूँ कि मुझे द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या : 641/अरसठ–4–2021–9(16)/2020, बेसिक शिक्षा अनुभाग–04, दिनांक 17 अगस्त 2021 के बिन्दु–02 में निहित प्राविधानों के अधीन तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान की जा रही है तथा शासनादेश दिनांक 17 अगस्त 2021 के बिन्दु–02 के अनुसार चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त, जो अंक अर्जित किये जायेंगे, उसका औसत अंक ही मेरे तृतीय सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जायेंगे। यदि भविष्य में मेरे द्वारा की गयी घोषणा में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त कक्षोन्नति समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मुझे मान्य होगा"

04. संस्थान द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण वर्ष 2019 तृतीय सेमेस्टर कक्षोन्नति हेतु पूरित आवेदन पत्र, प्रबन्धक/प्राचार्य के घोषणायुक्त प्रशिक्षुओं के हस्ताक्षरित नामावली सूची, फीस रसीद, प्रशिक्षुओं के घोषणा पत्र दिनांक 25.08.2021 तक अनिवार्य रूप से सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्राप्त करायी जायेगी।

05. उपशिक्षा निदेशक/प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा आवेदन पत्रों, नामावली सूची एवं घोषणा पत्र को संकलित करते हुए संस्थान में अभिरक्षित करें। जिन्हें बाद में पृथक से निर्देश निर्गत करने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त कराया जाय।

इसके साथ ही समस्त उपशिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को पृथक से यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अपने दिशा–निर्देशों में निजी संस्थानों से दिनांक 24.08.2021 तक अवश्य पूर्ण करा ली जाय। इस सम्बन्ध में निरन्तर अनुश्रवण भी किया जाय कि कोई भी संस्थान उपर्युक्त कार्यवाही करने में विलम्ब न करें। उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 26.08.2021 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाय।

भवदीय

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
18/08/2021

पृ0सं0:गोप0/ डी.एल.एड./ 1427-99 /2021–22, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–04, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
03. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
18/08/2021